"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2014— पौष 11, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2. — छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 जनवरी, 2014 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 10-64/2009/29/खाद्य-2/पार्ट/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल सिंह, अवर सचिव.

Raipur, the 1st January 2014

NOTIFICATION

No. F 10-64/2009/29/Food-2. — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Food Security Act, 2012 **(No. 5 of 2013), the** State Government, hereby, appoints the date of 1st of January, 2014 on which the provisions of Section 6 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.